प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 मई, 2022

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री जयपाल, निवासी जनपद-गाजियाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14659/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.04.2022) दिनांक-06.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री जयपाल, कुडियागढ़ी, थाना-मसूरी,जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। बंदी ने दिनांक 21.11.2006 को करीब 6:30 बजे तमंचे से गोली मारकर सविता की हत्या कर दी तथा वादी पप्पू को गोली मारकर घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-459/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 व 25 आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-1, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 06.01.2012 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.04.2021 तक 14 वर्ष 02 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 00 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। **जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।**

बोर्ड का अभिमत है कि वादी पप्पू ने सविता पुत्री जयपाल के साथ प्रेम विवाह किया था। इस शादी से साला धर्मेन्द्र नाखुश था। इसी रंजिश में बंदी ने दिनांक 21.11.2006 को तमंचे से गोली मारकर सविता की हत्या कर दी तथा वादी पप्पू को गोली मारकर घायल करने जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, आयु, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रोबेशन बोर्ड द्वारा प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी धर्मेन्द्र पुत्र श्री जयपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित क्रि0 अपील संख्या- 307/2022 विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1686/2022 धर्मेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.03.2022 निम्नवत है:-

"Leave granted.

On 21.2.2022, we passed the following order:

"A second bail application filed by the petitioner has been rejected. The petitioner has undergone 14 years, 11 months and 16 days of actual sentence and 17 years, 11 months and 5 days with remission as on 05.1.2021.

All that the High Court states it is still not a fit case for bail! The High Court instead directed the of-fice to prepare paper books within four weeks and list the appeal immediately for hearing and this was as far back as the Order dated 09.1.2019. The submission of the learned counsel for the petitioner is:

(a) That he has served more than 18 years with remis-sion and more than 14 years actual sentence. "Form-A" of the petitioner was presented by the Jail Au-thorities under the Uttar Pradesh Prisoners Release on Probation Act for his premature release but the same is still pending consideration, whereupon Dis-trict Manager Ghaziabad and SSP Ghaziabad have rec-ommended the premature release of the petitioner.

(b) Paper book has not been prepared despite the direc-tion of the High court and without paper book final hearing cannot take place.

(c) The Petitioner was transferred to Model Jail, Luc-know due to his good conduct and has been serving his sentence there since last 3 years. In our view all the aforesaid facts make disturbing meanings."

In the conspectus of the aforesaid facts we are quite amazed that the High Court have still declined bail to the appellant. We unhesitatingly are of the view that this is more than a fit case for grant of bail.

We also put to learned counsel for the State as to why his case has not been considered under Uttar Pradesh Prison- ers Release on Probation Act, 1938 till now. In this behalf, a report has been placed before us dated 24.4.2021 by the Jail Superintendent, Model Jail, Lucknow, his conduct as a prisoner in Jail is stated to be good and re-formative. At present he is stated to be working in the printing press of the Prison diligently and honestly. He has committed no mis-conduct or jail offence and has showed humanity, honesty and due diligence and is feeling the repentance for the offence committed earlier. These are not our words but words of the jail authorities. It is, thus, that the Jail Superintendent has founded the case that keeping the reformative conduct of the appellant, his release from jail on the basis of the mercy petition is recommended.

Considering his repentance and his conduct in Jail cer-tified has been salutary over now a period of 15 years, we call upon the State Government to take a favourable call on the aforesaid issue within a period of three months from to-day. The appellant be released from jail forthwith in the meantime.

This will not preclude even the consideration of the mercy petition.

The criminal appeal stands allowed."

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- अत: मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित क्रि0 अपील संख्या- 307/2022 विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1686/2022 धर्मेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.03.2022 के समादर में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र (बन्दी संख्या-17324) पुत्र श्री जयपाल, निवासी जनपद-गाजियाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-60/2022/1355(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री सर्वेश सिंह बघेल, ए0ओ0आर0 मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-60/2022/1355/22-2-2022-21(12)/2022

दिनांक 28 मई, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री जयपाल, कुडियागढ़ी, थाना-मसूरी,जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। बंदी ने दिनांक 21.11.2006 को करीब 6:30 बजे तमंचे से गोली मारकर सविता की हत्या कर दी तथा वादी पप्पू को गोली मारकर घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-459/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 व 25 आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-1, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 06.01.2012 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.04.2021 तक 14 वर्ष 02 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 00 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। **जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।**

बोर्ड का अभिमत है कि वादी पप्पू ने सविता पुत्री जयपाल के साथ प्रेम विवाह किया था। इस शादी से साला धर्मेन्द्र नाखुश था। इसी रंजिश में बंदी ने दिनांक 21.11.2006 को तमंचे से गोली मारकर सविता की हत्या कर दी तथा वादी पप्पू को गोली मारकर घायल करने जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, आयु, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रोबेशन बोर्ड द्वारा प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी धर्मेन्द्र पुत्र श्री जयपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।